रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-85/2024/968/22-2-2024-17(261)2013

लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संतोष कुमार सिंह (बन्दी संख्या-27774) पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, सा0 पिपरौला, थाना-नवीनगर, जनपद-औरंगाबाद, राज्य बिहार का निवासी है, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147,148, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01, भदोही के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 एवं उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 25.11.2023 तक 20 वर्ष, 03, माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद, राज्य बिहार के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार **द्विवेदी**

उप सचिव।

संख्या-85/2024/968(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद, राज्य बिहार।

3- पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, राज्य बिहार।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को योजित रिट पिटीशन(क्रि0) नं0-683/2023 संतोष कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03-05-2024 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in